

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10947/2024

1. नितीशा चौधरी, पिता श्री प्रताप सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, ग्राम नोरणपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना (राजस्थान)।
2. सरोज डूडी, पिता श्री रामकरण डूडी, उम्र लगभग 21 वर्ष, डूडियों का बास, ग्राम रटकुड़िया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर (राजस्थान)।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, सरकार राजस्थान, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. उप सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोगहाल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।
4. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अपने कुलसचिव, करवर, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----प्रतिवादी

संबद्ध याचिका:

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10949/2024

1. सुनीता कुमारी, पुत्री सुरेश कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 397, एफसीआई गोदाम, दैजर, जिला जोधपुर।
2. संगीता, पत्नी रामपाल सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ताडामल, बड़वाल, टाडास, जिला नागौर।
3. आलोक सिंह, पुत्र रणधीर सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट - धर्मुई, तहसील एवं जिला भरतपुर।

4. सुरेश, पुत्र कर्णा राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट – दयासागर खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, राजस्थान सरकार, आयुष विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, जयपुर।
5. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादी

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10995/2024

गीता, पुत्री भागीरथ राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट – नेवा कनासर, तहसील बाप, जिला फलोदी, राजस्थान।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सरकार के उप सचिव, आयुष विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर।
5. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादी

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11022/2024

1. हरि सिंह मीणा, पुत्र श्री बंशीधर मीणा, उम्र लगभग 30 वर्ष, ग्राम टोडपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
2. रवीना मीणा, पुत्री श्री रोहिताश्व मीणा, उम्र लगभग 28 वर्ष, ग्राम टोडपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
3. सुनील कुमार, पुत्र श्री मणि राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम टोडपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
4. सुमन कुमारी जाटव, पुत्री श्री जोख राम जाटव, पत्नी श्री राजेश कुमार, उम्र लगभग 38 वर्ष, वार्ड नंबर 50, न्यू आरपीएससी के पीछे, बांदियाग्राम, अजमेर (राजस्थान)।
5. राधिका पारीक, पिता श्री ब्रजनंदन पारीक, उम्र लगभग 30 वर्ष, 58, फतेहराम का टीबा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राजस्थान)।
6. पुरुषोत्तम नगर, पिता श्री अशोक नगर, उम्र लगभग 30 वर्ष, ग्राम गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान)।
7. राकेश कुमार मीणा, पिता श्री फोरू लाल मीणा, उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्राम मंदिर का झोपड़ा, बई, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।
8. प्रतिभा नरुका, पिता श्री सत्यपाल सिंह नरुका, उम्र लगभग 26 वर्ष, 106, झारखंड महादेव मंदिर, क्वीन रोड, प्रेमपुरा, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान)।
9. गुंजन शर्मा, पिता श्री दूलीचंद शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, वार्ड नंबर 55, प्रेमपुरा, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।

3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोघाल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।
4. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अपने कुलसचिव के माध्यम से, करवर, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या: 11091/2024

1. पूजा शर्मा, पुत्री श्री गजानंद शर्मा, पत्नी श्री अशोक कुमार पारीक, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम अलीपुर, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
2. सुरेंद्र पारीक, पुत्र श्री रामदेव पारीक, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी – डालमिया बॉयज स्कूल के पीछे,
3. प्रियंका, पुत्री श्री वीरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम केलडा का बास, जैतपुरा, तहसील एवं जिला झुंझुनू (राजस्थान)।
4. अंकित शर्मा, पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी शिव कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, वार्ड नंबर 32, चूरू (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोघाल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, आयुष भवन, सेक्टर-26, प्रतापनगर, जयपुर।

5. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अपने कुलसचिव के माध्यम से, करवर, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या: 11643/2024

1. अतुल कुमार दाधीच, पुत्र प्रदीप कुमार दाधीच, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मग्रापुंजला, गोकुल जी की प्याऊ, सीबीआई कार्यालय के पास, जोधपुर (राजस्थान)।
2. कुसुम कंवर, पुत्री लाल सिंह मेड़तिया, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 95, खसरा नंबर 26/107, धापी मार्बल, बनाड़ रोड, जोधपुर।
3. प्रियंका, पुत्री मोहनलाल, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी रिडमल नगर, भोजाकोर, तहसील देचू, फलोदी।
4. मोनिका कुमारी, पुत्री भगत सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी रेल्या की ढाणी, गुढा गोड़जी, झुंझुनू।
5. मनीषा कुमारी, पुत्री ओमप्रकाश ढाभाई, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 03, सांगानेरिया कुआँ,
6. रशीसा कुमारी मंथ, पुत्री महेश कुमार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ढायलों का बास, करी, झुंझुनू।
7. राजेश गुर्जर, पुत्र रूपाराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 24, चुना चौक, नवलगढ़, झुंझुनू, राजस्थान।
8. प्रियंका कुमारी, पुत्री अनिल कुमार माहन, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी बलवंतपुरा, बलवंतपुरा, झुंझुनू।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, राजस्थान सरकार, आयुष विभाग, जयपुर।

3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर।
5. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

सिविल रिट याचिका संख्या: 11647/2024

1. धीरज खटोर, पुत्री नेमिचंद, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 58, खसरा नं. 107, रामदेव नगर, बनाड़ रोड, नांदड़ी, जिला जोधपुर।
2. मनोहर लाल प्रजापत, पुत्र आशुराम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी कुम्हारों की ढाणी, मगासर, छड़ी, फलोदी, जिला फलोदी।
3. मनोहर सिंह, पुत्र किशोर सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट बसनी हरि सिंह, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
4. शशिकांत स्वामी, पुत्र अश्विनी कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 13, ग्राम पोस्ट बाबई, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
5. मोहित कुमार शर्मा, पुत्र दिलीप कुमार शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट पंडरयू टिब्बा, तहसील तारानगर, जिला चूरू।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर।
5. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या: 11836/2024

1. स्वाति माहेरिया, पुत्री खेम चंद, उम्र लगभग 24 वर्ष, स्व. सुरेश, निवासी पहाड़गंज- II, व्हाइट हाउस, पोस्ट मंडोर, जोधपुर।
2. गीता कुमारी, पुत्री खेम चंद, उम्र लगभग 40 वर्ष, ग्राम भोजनगर, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
3. पूजा कुमारी, पुत्री राम प्रसाद, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम शिवसिंहपुरा, जिला सीकर, राजस्थान।
4. पूनम कुमारी, पुत्री रणवीर, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम जाखल, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
5. कुमारी आशा, पुत्री राजेश कुमार खेडर, उम्र लगभग 22 वर्ष, ग्राम जाखल, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
6. मानसी, पुत्री रणजीत कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, नवालरी, झुंझुनू।
7. बुलकेश कुमारी, पुत्री श्रीकिशन खरींता, उम्र लगभग 26 वर्ष, वार्ड नंबर 8, सोनथली, पोस्ट टिटानवर, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सरकार के उप सचिव, आयुष विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर।
5. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 12267/2024

हिमांशु शर्मा, पुत्र विष्णु कुमार शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, उंडू, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सरकार के उप सचिव, आयुष विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर।
5. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 15436/2024

1. रवि कुमार, पुत्र गोरधन सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्राम तलछेरा, तहसील नादबई, जिला भरतपुर (राजस्थान)।
2. सारिका कुमारी, पुत्री अजय कुमार, उम्र लगभग 23 वर्ष, ग्राम/पोस्ट झरकै, तहसील नादबई, जिला भरतपुर (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोहागल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, आयुष भवन, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर।

5. डॉ. सर्वपालिराधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से, कारवार, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16612/2024

बृजेन्द्र पंवार पुत्र श्री रामअवतार गुर्जर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम-कलारंग का पुरा, पोस्ट खेड़ा जमालपुर, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. उप सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर, (राज.)।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोहागल रोड, सावित्री कॉलेज, अजमेर (राज.)।
4. रजिस्ट्रार, डॉ. सर्वपाली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कारवार नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : नितिन गहलोत और विनीता के साथ
श्री यशपाल खिलेरी
श्री कुमारी। गोदारा
सुश्री वर्षा बिस्सा
श्री वरदा राम चौधरी

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री नरेंद्र सिंह राजपुरोहित,
एएजी श्री शेर सिंह राठौड़ के साथ
श्री सुनील पुरोहित
सुश्री राखी चौधरी, डिप्टी जीसी

आवेदकों के लिए : सुश्री तान्या

माननीय न्यायाधीश श्री फर्ज़द अली

आदेश

आदेश सुरक्षित किया गया दिनांक :: 08/10/2024

आदेश सुनाया गया दिनांक :: 16/10/2024

प्रकाशनीय

न्यायालय द्वारा:

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई ये रिट याचिकाएं याचिकाकर्ताओं द्वारा इस कारण से दाखिल की गई हैं कि प्रतिवादी विभाग द्वारा आयुर्वेद कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड की चल रही चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को निष्पक्ष अवसर नहीं दिया गया। साथ ही, दिनांक 28.06.2024 को पारित उस विवादित आदेश (संग्रक 4, नागरिक रिट याचिका संख्या 10949/2024) को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो कि राजस्थान सरकार के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष विभाग) द्वारा पारित किया गया, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (05.10.2023) (संग्रक 1, रिट याचिका संख्या 10949/2024) के अंतर्गत कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पदों में सीटों की वृद्धि की गई।

2. इन सभी प्रकरणों में एक समान विषयवस्तु होने के कारण, सभी पक्षकारों की सहमति से इन सभी मामलों को एक साथ सुना गया और इस साझा आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से इस आदेश में उल्लिखित तथ्यों को रिट याचिका संख्या 10949/2024 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के प्रचार और उन्नति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आयुष विभाग (जिसे आगे "प्रतिवादी विभाग" कहा जाएगा) बनाया है जो आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी सहित इन सभी वैकल्पिक विभागों का प्रबंधन और विनियमन करता है। इस कारण से, प्रतिवादी विभाग ने लोगों की भर्ती/नियुक्ति करने का निर्णय लिया और इसी उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया बनाई गई है। प्रतिवादी विभाग ने विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) के तहत राज्य में नर्स/कंपाउंडर जूनियर ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया और यह राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (जिसे आगे "1966 के नियम" कहा जाएगा) द्वारा शासित है। तदनुसार आवेदन आमंत्रित किए गए कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पद के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी तीनों सेटों के लिए निर्धारित योग्यता विज्ञापन में ही बताई गई है, जो कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में तीन साल का डिप्लोमा या चार साल का बीएससी है, जो कानून के अनुसार स्थापित है। उम्मीदवारों के लिए शर्त यह थी कि उन्हें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 05.11.2023 से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी और जिसका प्रमाण उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन में बताई गई योग्यता 1966 के नियमों के अनुरूप भी थी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, होम्योपैथी विभाग के लिए 288 पद (गैर-टीएसपी = 265 + टीएसपी = 23) और यूनानी विभाग के लिए 164 पद (गैर-टीएसपी = 160 + टीएसपी = 4)। 1966 के नियम 9 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हर साल 1 अप्रैल को निर्धारित की जाएगी। इन रिक्त याचिकाओं में प्रतिभागियों/उम्मीदवारों की दो श्रेणियां हैं, यानी वे उम्मीदवार जो आवेदन पत्र भी नहीं भर सके क्योंकि उनके पास

संबंधित समय पर अपनी डिग्री नहीं थी क्योंकि उनकी डिग्री प्राप्त करने में देरी हुई क्योंकि वे COVID बैच में थे और सरकार ने समय-समय पर उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को बढ़ाया और उपरोक्त के कारण वे कट-ऑफ तिथि से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं कर सके। (जैसा कि एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10947/2024 में उल्लेख किया गया है) दूसरी श्रेणी में वे अभ्यर्थी शामिल थे जिन्होंने आयुर्वेद विभाग में उस पद के लिए आवेदन किया था जिसके लिए आवेदन पत्र की प्रति अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है, लेकिन उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उनके पास विचाराधीन श्रेणी में आने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। उनके पास केवल अपनी योग्यता की मार्कशीट थी, लेकिन उन्हें फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तक अपनी डिग्री प्राप्त नहीं हुई थी और उनके पास कार्य अनुभव की भी कमी थी, इसलिए उन्हें कोई बोनस अंक नहीं दिए गए। कुछ याचिकाकर्ता पहले से ही डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (जैसा कि एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10949/2024 में उल्लेख किया गया है) जैसे सरकारी संस्थानों में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उनकी सेवा अवधि विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार नहीं थी।

4. फॉर्म भरने और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रतिवादी विभाग ने दिनांक 28.06.2024 के आदेश (अनुलग्नक 4) के तहत उक्त चयन प्रक्रिया में सीटों की संख्या बढ़ाने/जोड़ने का निर्णय लिया, जिसके तहत आयुर्वेद में 247 पद और होम्योपैथी विभाग में 68 पद और जोड़े गए, जिसके अनुसार आयुर्वेद के लिए कुल पद 742 हो गए, जिनमें से 683 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए और 59 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए थे और होम्योपैथी में कुल पदों की संख्या 356 हो गई, जिनमें से 328 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए और 28 पद टीएसपी के लिए थे। बड़े हुए पदों की संशोधित अधिसूचना की एक प्रति रिट याचिका (अनुलग्नक 9) के साथ संलग्न है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए इस

आशय की चिंता व्यक्त की कि चूँकि वे कट-ऑफ तिथि से पहले वांछित योग्यता प्राप्त न कर पाने के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं थे और यह अप्रत्याशित घटना के कारण हुआ था जिसके कारण उनकी डिग्री में देरी हुई, इसलिए उन्हें बढ़े हुए पदों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए (अनुलग्नक 11)। हालाँकि, प्रतिवादी विभाग से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। ये बढ़ी हुई/जोड़ी गई सीटें केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए थीं जो 05.11.2023 तक पात्र थे, जो कि विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) के अनुसार अंतिम तिथि थी। सीटें बढ़ाने के आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) को परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र याचिकाकर्ताओं को अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए, तत्काल रिट याचिका दायर करके, प्रतिवादी विभाग को आयुर्वेद और होम्योपैथी में बढ़ी हुई/जोड़ी गई रिक्तियों को शामिल न करने और 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश को रद्द करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत सीटें बढ़ाने के संबंध में निर्देश पारित किए गए थे। विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) और दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) के जारी होने को अवैध, मनमाना और कानून के विपरीत घोषित करने का अनुरोध किया गया है। कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड परीक्षा के लिए बाद में निर्धारित पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने हेतु प्रतिवादी विभाग को आवश्यक निर्देश देने हेतु एक और प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिवादी विभाग द्वारा रिट याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए रिट याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि कोई मनमानी नहीं अपनाई गई, बल्कि प्रतिवादी विभाग ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया और इसलिए रिट याचिका पोषणीय नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि 1966 के नियम 16 के अनुसार, प्रतिवादी प्राधिकारी पहले से विज्ञापित सीटों में कुल विज्ञापित सीटों के 50% तक सीटें बढ़ाने/बढ़ाने के लिए अधिकृत और

सशक्त हैं, यदि विज्ञापन जारी होने के बाद पदोन्नति आदि के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। यह विशेष रूप से तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार परीक्षा में भाग लेने के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्हें न तो चल रही परीक्षा में भाग लेने का और न ही सीटों की वृद्धि के बाद के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार है। विभाग को रिक्तियों में सीटें जोड़ने का कानूनी अधिकार है और इसलिए याचिकाकर्ता कानूनी प्रावधान के अनुसार पारित आदेश को चुनौती नहीं दे सकते। उत्तर में सहानुभूतिपूर्वक और बार-बार यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पात्र थे। चूंकि आदेश 1966 के नियमों के अनुसार पारित किया गया है, इसलिए एक विशिष्ट कानूनी दलील उठाई गई है, इसलिए जब तक नियम को ही चुनौती नहीं दी जाती, तब तक कानूनी आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इन सभी आधारों सहित अन्य का हवाला देते हुए, यह प्रार्थना की गई कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है।

6. अभिवचन पूरा होने के बाद दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने मौखिक रूप से अपने तर्क प्रस्तुत किए।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को उचित अवसर न देने के लिए प्रतिवादी विभाग की कार्रवाई अवैध, मनमानी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) के अनुसार नर्स/कंपाउंडर जूनियर ग्रेड के पद के लिए आवेदन किया और तदनुसार आवेदन पत्र भरे (अनुलग्नक 2) लेकिन उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उनके पास पर्याप्त अंक और आवश्यक योग्यता नहीं थी। आगे यह तर्क दिया गया कि

आयुर्वेद नर्स/कंपाउंडर के पदों में 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश के अनुसार वृद्धि हुई है, जिसके लिए अंतिम तिथि वही रखी गई है जो प्रतिवादी विभाग द्वारा प्रारंभिक विज्ञापन जारी किए जाने के समय थी, अर्थात् 05.11.2023 और इसे कभी भी बड़े पैमाने पर जनता के अवलोकन के लिए प्रकाशित नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कारणों से विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में पदों को संशोधित कर रही है लेकिन ऐसे संशोधन या वृद्धि के लिए राज्य सरकार उन उम्मीदवारों के लिए विचार क्षेत्र को फिर से खोल देती है जो अब किसी भी कारण से पात्र हो गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि कई नियुक्तियों में जैसे आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर, एक उदाहरण में चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के पद के मामले में जब सीटों में वृद्धि की गई थी, तो विभाग द्वारा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई थी या ऑनलाइन आवेदन पत्र फिर से खोले गए थे और संशोधित अधिसूचना क्रमशः जारी की गई थी जैसा कि रिट याचिका (अनुलग्नक 7 और अनुलग्नक 8) में संलग्न है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जो वृद्धि/परिवर्धन हुआ है वह बड़ी संख्या में है लेकिन प्रतिवादी विभाग ने विचार क्षेत्र को फिर से नहीं खोला है। वकील ने आगे बताया कि विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) के खंड 9 में कहा गया है कि इन पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अनुभव की गणना की जाएगी। यदि विचार क्षेत्र फिर से खुल जाता है तो आवेदन पत्र फिर से भरे जा सकते हैं और शिक्षा/व्यावसायिक योग्यता की अंतिम तिथि भी बढ़ जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता जो अन्यथा पात्र नहीं थे, वे अब पात्र हो जाएंगे और उस स्थिति में। उम्मीदवारों द्वारा अब तक प्राप्त अनुभव पर विचार किया जाएगा और वे बोनस अंकों के लिए पात्र होंगे और भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र हो जाएंगे। प्रतिवादी विभाग भी राज्य सरकार का एक हिस्सा है और उनके द्वारा उक्त निष्क्रियता मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में यह प्रार्थना की कि प्रतिवादी विभाग द्वारा

पारित दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश को रद्द कर दिया जाए और पूरी भर्ती प्रक्रिया को तदनुसार रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा, यह भी प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी विभाग को दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश के अनुसार सीटों की वृद्धि के अनुसरण में आवेदन पत्र पुनः खोलने का निर्देश दिया जाए और प्रतिवादी विभाग को बाद में जोड़े गए पदों के लिए उक्त भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोका जाए। अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:

- क) राखी रे एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य, एआईआर 2010 एससी 932 में रिपोर्ट किया गया।
- ख) अरूप दास एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य, (2012) 5 एससीसी 559 में रिपोर्ट किया गया।
- ग) के. लक्ष्मी बनाम केरल राज्य, (2012) 4 एससीसी 115 में रिपोर्ट किया गया।
- घ) केरल उच्च न्यायालय बनाम रेशमा ए. एवं अन्य, (2021) 3 एससीसी 755 में रिपोर्ट किया गया।
- ङ) मोहम्मद राशिद बनाम निदेशक, स्थानीय निकाय, नया सचिवालय एवं अन्य, एआईआर 2020 एससी 1075 में रिपोर्ट किया गया।
- च) शंकरसन दास बनाम भारत संघ (यूओआई), एआईआर 1991 एससी 1612 में रिपोर्ट किया गया।

छ) सुगर सिंह मीणा पुत्र श्री रत्ती राम बनाम भारत संघ [डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7256/2022] का निर्णय 25.05.2022 को हुआ।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1966 के नियमों के अनुसार कुल पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है और इसलिए विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) के अनुसार चयन से पहले सीटें जोड़ी गई हैं और यह 1966 के नियमों के नियम 16 के अनुसार है। 1966 के नियमों के नियम 16 में पदों को जोड़ने और घटाने का प्रावधान है, यदि चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना प्राप्त होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी विभाग को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना मिली थी क्योंकि पदोन्नति के कारण कुछ पद रिक्त हो गए थे। इस दृष्टिकोण से, प्रतिवादी विभाग ने नियम 1966 के नियम 16 के अनुसरण में और विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) में दिए गए नोट के अनुसार पदों में वृद्धि की और नियम निर्दिष्ट करता है कि अतिरिक्त सीटें कुल रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि नियम 1966 का नियम 9, जिसमें रिक्तियों का निर्धारण "नियमों के प्रावधानों के अधीन" से शुरू होता है, इसलिए रिक्तियों का निर्धारण हर साल नियम 1966 के प्रावधानों के अधीन किया जाता है और नियम 16, 1966 में प्रावधान है कि यदि चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना प्राप्त होती है, तो उसे जोड़ा जा सकता है। नियम 16 का प्रावधान कानून के अनुरूप है क्योंकि इससे उन व्यक्तियों के लिए अवसर बढ़ गए हैं जो आवेदन पत्र भरने के बाद भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि वे उस समय पात्र थे लेकिन याचिकाकर्ता उस दिन पात्र नहीं थे, इसलिए समानता उन व्यक्तियों के पक्ष में है जिन्होंने चयन प्रक्रिया समाप्त होने से

पहले पदों में वृद्धि का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र भरे थे। उन्होंने आगे कहा कि 50% नियम इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि जो व्यक्ति प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में पात्र थे उन्हें अतिरिक्त सीटों के लिए अवसर दिया जा सकता है और अतिरिक्त सीटों का लाभ उन उम्मीदवारों को दिया जा सकता है जिन्होंने विज्ञापन की प्रारंभिक तिथि पर फॉर्म भरा था। सीटों में 50% की वृद्धि या जोड़ कानून के अनुसार है और तर्कसंगत है और याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध के अनुसार अतिरिक्त पदों को रद्द करने से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता उस भर्ती में भाग लेंगे जिसके लिए वे पात्र नहीं थे प्रतिवादी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूंकि सीटों की संख्या में वृद्धि स्पष्ट नियम के अनुसार की गई है, इसलिए जब तक किसी विशेष नियम को अधिकार-बाह्य घोषित करने का अनुरोध नहीं किया जाता, तब तक यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:

- क) अलोक कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) 14 एस सी सी 692
- ख) ऑल इंडिया SC और ST कर्मचारी संघ बनाम ए. आर्थर जीन (2001) 6 एस सी सी 380
- ग) अनुपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एस सी सी 173

9. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है। याचिका के साथ उपलब्ध प्रस्तुतियों और सामग्री पर गहन विचार करने के बाद, इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी है।

10. निस्संदेह, कुछ याचिकाकर्ताओं ने नर्स/कंपाउंडर जूनियर ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि तक इसके लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए थे। कुछ समय बाद, प्रतिवादी विभाग ने मौजूदा पद में सीटें बढ़ा दीं/बढ़ा दीं/जोड़ दीं, जिससे उम्मीदवारों/ आवेदकों/ पदधारियों/ आकांक्षियों को अतिरिक्त सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया क्योंकि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अभी भी वही है जो अधिसूचित की गई थी, अर्थात् 05.11.2023। मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए, यह महसूस किया गया कि तीन प्रकार की श्रेणियां होंगी जिन्हें आक्षेपित आदेश द्वारा अवसर प्रदान करने से प्रतिबंधित/बहिष्कृत किया जाएगा और यह उनके लिए भेदभावपूर्ण होगा। तीन श्रेणियां इस प्रकार हैं:

- i.) जिन अभ्यर्थियों को फॉर्म खुलने के समय यानी 05.11.2023 तक अपनी डिग्री नहीं मिली थी, लेकिन अब उन्हें अपनी डिग्री मिल गई है और वे अतिरिक्त पदों/सीटों के लिए पात्र हो गए हैं, लेकिन वे अब जोड़ी गई सीटों के लिए परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने से वंचित रह जाएंगे।
- ii) कोविड के समय में, लॉकडाउन के कारण सरकार ने पाठ्यक्रमों को बार-बार बढ़ाया और जिसके कारण याचिकाकर्ताओं ने मार्च 2020 के महीने में प्रतिवादी विश्वविद्यालय में आयुष नर्सिंग और फार्मेसी (डीएएन एंड पी) में डिप्लोमा के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, जो अप्रैल 2023 के बजाय अप्रैल 2024 के महीने में पूरा हुआ और उम्मीदवारों को उसी वर्ष डिग्री जारी की गई और यह याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई गलती नहीं थी। पाठ्यक्रम पूरा करने और डिग्री प्रदान करने में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार थी और जिसके परिणामस्वरूप;

भर्ती की प्रारंभिक तिथि तक उन्हें अपनी डिग्री नहीं मिली। अब, वर्तमान तिथि में, उनके पास अपनी डिग्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन यदि उन्हें उन पदों के लिए फॉर्म भरने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जिन्हें इस आदेश के तहत बढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

- iii.) जो उम्मीदवार प्रारंभिक विज्ञापन के समय इच्छुक नहीं थे, हो सकता है कि वे कहीं और काम कर रहे हों या उस समय उन्हें उस पद में रुचि नहीं थी, लेकिन अब वे भाग लेने के इच्छुक हैं, और ऐसे उम्मीदवारों को सरकारी पद के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं और उनके मौलिक अधिकार हैं और अब वे पात्र हैं जब वर्तमान प्रक्रिया में रिक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

उपरोक्त श्रेणियों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से भेदभाव और याचिकाकर्ताओं या उन उम्मीदवारों को उचित अवसर न देने का मामला सामने आता है जो इसके लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वस्तुतः उन्हें अवसर से वंचित कर दिया गया है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवेदन के माध्यम से प्रतिवादी विभाग से यह दलील भी दी कि 2020 के बैच में यानी कोविड काल के दौरान उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को विभाग द्वारा नियुक्ति में शामिल नहीं किया गया है, हालाँकि देरी उनकी गलती के कारण नहीं हुई थी, लेकिन वे नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं और प्रतिवादी विभाग ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और उनके अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह भी पाया गया है कि डीपीसी के कारण 420 अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता का संचार संबंधित प्राधिकारी द्वारा 22.01.2024 को जारी किया गया था (एस.बी. सिविल रिट संख्या 11836/2024 का अनुलग्नक 9), लेकिन आयुर्वेद

विभाग के लिए जो अतिरिक्त सीटें जोड़ी/बढ़ाई गईं, वे 247 पद थीं, जो विज्ञापन में आरंभ में विज्ञापित सीटों की संख्या का लगभग पचास प्रतिशत है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि रिक्तियों की प्राप्ति तिथि और बढ़ाई गई सीटों की संख्या मेल नहीं खाती और सीटों को शामिल करने का आदेश आरंभिक विज्ञापन के लगभग 8 महीने बाद जारी किया गया।

11. अब उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड और योग्यता पर आते हैं। तथ्यों से स्पष्ट है कि जब विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 3.10.2023 (अनुलग्नक 1) जारी किया गया था, तो कुछ याचिकाकर्ता पात्र नहीं थे क्योंकि उनके अंक विचाराधीन क्षेत्र में नहीं पहुँच रहे थे क्योंकि उन्हें कोविड बैच होने के कारण अपनी डिग्री नहीं मिली थी और उन्हें कोई बोनस अंक भी नहीं दिए गए थे क्योंकि उनके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने उन सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएँ बंद नहीं कीं जहाँ वे पहले काम कर रहे थे और कुछ महीनों में सीटों की वृद्धि की अधिसूचना दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) जारी की गई। अब, उन्होंने आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लिया है और आयुष नर्सिंग और फार्मेसी (डीएएन एंड पी) में अपने डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरे कर लिए हैं, इसलिए वर्तमान में वे इस पद के लिए पात्र हैं। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण, (डीएएन एंड पी) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के परीक्षा कैलेंडर को बार-बार बढ़ाया गया और जिसके कारण, याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं होने के बावजूद, डिप्लोमा का तीन साल का कोर्स अप्रैल, 2023 के बजाय अप्रैल, 2024 के महीने में पूरा हुआ और जिसके आवश्यक परिणाम के रूप में, याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने अप्रैल, 2023 के बजाय अप्रैल, 2024 के महीने में अपेक्षित डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, ने विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) में विज्ञापित प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने से परहेज किया क्योंकि इसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 05.11.2023 थी। प्रतिवादी विभाग ने

अलग से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रारंभिक भर्ती में सीटें बढ़ा दीं और आयुर्वेद विभाग में 247 और होम्योपैथी में 68 सीटें बढ़ाई गईं जो एक बड़ी संख्या है क्योंकि अब वे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन अब सीटें बढ़ने पर वे आवेदन करना चाहते थे लेकिन चुनौती दिए गए आदेश से वंचित हो गए। बढ़ी हुई सीटों के लिए अब जो परीक्षा ली जाएगी उसमें भाग लेना उनका अधिकार है लेकिन उन्हें फॉर्म भरने का अवसर न देना या उन्हें ऐसा करने से रोकना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय का विचार है कि उन लोगों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की वही तिथि रखना सबसे अनुचित है जो विज्ञापन जारी होने की प्रारंभिक तिथि पर पात्र थे क्योंकि यह अतिरिक्त सीटों की अधिसूचना की तिथि से लगभग 8 महीने बाद की बात है। 200 या अधिक सीटों की वृद्धि की तिथि पर परीक्षा देने के पात्र अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित रखा गया है।

12. बहस के दौरान, न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय को दिनांक 04.03.2024 के एक पत्र की प्रति उपलब्ध कराई, जिसमें रिक्तियों की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर पहले से विज्ञापित सीटों में 247 अतिरिक्त सीटें (अनुलग्नक 4) जोड़ने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 04.03.2024 के पत्र की प्रामाणिकता और वास्तविकता पर कोई विवाद नहीं है और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने इसके अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं किया है और इसलिए विद्वान अपर महाधिवक्ता और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की सहमति से, दिनांक 04.03.2024 के पत्र को अभिलेख का हिस्सा बना दिया गया है और इस प्रकार इसे अभिलेख में ले लिया गया है। तत्काल संदर्भ के लिए दिनांक 04.03.2024 के पत्र को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

राजस्थान सरकार

निदेशालय: आयुर्वेद विभाग, राजस्थान - अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री कॉलेज चौराहा, अजमेर (राजस्थान) - 305001

क्रमांक: प.1/प्र.3/नर्स-कम्पाउंडर भर्ती/2023/1955 दिनांक: 04/03/2024

उप शासन सचिव
आयुष विभाग
जयपुर

विषय - कनिष्ठ नर्स -कम्पाउण्डर के पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1 /2023 में पदों की वृद्धि की जाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1966 के अंतर्गत 495 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 05-10-2023 को जारी किया गया था, जिसके क्रम में नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में विभागान्तर्गत नर्स-कम्पाउंडर के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:

1.	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-I	-	8 पद
2.	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-II	-	29 पद
3.	वरिष्ठ कम्पाउंडर-नर्स	-	325 पद
4.	दक्ष कम्पाउंडर-नर्स	-	989 पद
5.	दक्ष कम्पाउंडर-नर्स	-	367 पद
(ग्रामीण सेवा नियम 2008 के अंतर्गत)			
	कुल	-	1718 पद

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1966 के अंतर्गत वर्तमान में दक्ष नर्स-कम्पाउंडर के कुल 989 पद रिक्त हैं, जिनमें से 495 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया हुआ है तथा 125 पद विज्ञापन संख्या 1/2021 एवं 2/2021 के तहत माननीय न्यायालय द्वारा होल्ड किए हुए होने से नियुक्ति हेतु 369 पद रिक्त रहते हैं।

अतः राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1966 के नियम 16 के अनुसार विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने का प्रावधान होने के फलस्वरूप विज्ञापन संख्या 1/2023 (जिसकी भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है) में 247 पदों की वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान कराएं ताकि विभागीय औषधालयों/अस्पतालों के रिक्त पदों को भरा जाकर विभागीय औषधालयों/ अस्पतालों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

भवदीय,

(मेघना चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक
(प्रशासन)

यह उस तरह की सूचना है, जिसका संदर्भ चयन प्रक्रिया के दौरान रिक्तियों के प्रोड्युक्शन के संबंध में नियम 16 में दिया गया है। दिनांक 04.03.2024 के पत्र में कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर भर्ती के लिए जारी परिपत्र संख्या 1/2023 में पदों की वृद्धि बताई गई है और पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में सभी श्रेणियों सहित कुल 1718 पद रिक्त हैं और जिनमें से नर्स/कंपाउंडर जूनियर ग्रेड के पद के लिए कुल सीटें 989 हैं, जिनमें से 495 पद पहले ही विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) में विज्ञापित किए जा चुके थे और विज्ञापन संख्या 1/2021 और 2/2021 की 125 सीटों को न्यायालय ने एक अन्य मुकदमे में रोक दिया था और मामला विचाराधीन है। अभी भी रिक्त पदों की संख्या 369 थी, जिनमें से केवल 247 पद पहले से विज्ञापित पदों (अनुलग्नक 4) में जोड़े गए थे।

13. बारीकी से अवलोकन करने पर, एक स्पष्ट पहलू यह पाया गया कि प्रतिवादी विभाग ने 1966 के नियम 16 के अनुसार सीटें बढ़ाई, जो विभाग को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पद जोड़ने का अधिकार देता है, बशर्ते कि चयन से पहले प्राप्त होने वाली विज्ञापित रिक्तियों की संख्या 50% से अधिक न हो। सुलभ संदर्भ के लिए, नियम 1966 का नियम 16 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"16. आवेदन आमंत्रित करना। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन *"नियुक्ति प्राधिकारी" द्वारा, राजपत्र में @ "या" ऐसे अन्य तरीके से भरे जाने वाले रिक्तियों का विज्ञापन करके, जो उचित समझा जाए, आमंत्रित किए जाएंगे।

% "विज्ञापन में एक खंड होगा कि जो उम्मीदवार उसे प्रस्तावित पद पर कार्यभार स्वीकार करता है, उसे परीक्षा अवधि के दौरान राज्य

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर मासिक निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा और विज्ञापन में अन्यत्र दर्शाए गए पद का वेतनमान संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख से ही दिया जाएगा:”

बशर्ते कि इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय *“नियुक्ति प्राधिकारी”, यदि विज्ञापित रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना, चयन से पहले उन्हें प्राप्त होती है, तो ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का भी चयन कर सकता है।

1966 के नियमों के नियम 16 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियम निर्माताओं का इरादा एक प्रावधान बनाने का था जिससे प्राधिकारी को उसी भर्ती प्रक्रिया में अधिक सीटें शामिल करने में सक्षम बनाया जा सके यदि प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं की सूचना दी जाती है जो कि कुल विज्ञापित रिक्तियों के आधे से अधिक नहीं है लेकिन जब सूचित अतिरिक्त आवश्यकता विज्ञापित पदों के आधे से अधिक है तो एक नई प्रक्रिया शुरू करनी होगी। उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त आवश्यकता प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल कर सकता है लेकिन यह चयन से पहले उनके द्वारा प्राप्त विज्ञापित रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां, प्रतिवादी विभाग ने नियम का अनुचित लाभ उठाया; डीपीसी के कारण खाली हुए कुल पदों को विभाजित करके और इसके लिए उन्होंने पहले से विज्ञापित रिक्तियों में अधिक पद जोड़ दिए। नियम में अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना को विभाजित करने की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि इसका उद्देश्य प्राधिकरण को चयन प्रक्रिया में उन सभी अतिरिक्त आवश्यकताओं को शामिल करने का विवेकाधिकार देना है जो विज्ञापन जारी होने के बाद उत्पन्न हुईं और जिनके लिए उन्हें सूचित किया गया था। अब इस न्यायालय द्वारा विचारित मुद्दा यह होगा कि सीटों की बढ़ी हुई संख्या इतनी अधिक है कि कई उम्मीदवार/प्रतिभागी पद के लिए आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं क्योंकि विभाग द्वारा अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई

गई है। नियम के अनुसार यह प्रारंभिक विज्ञापित सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक पदों की संख्या पहले से ही बहुत अधिक थी, इसलिए यदि प्रतिवादी विभाग सेटों की संख्या बढ़ाना चाहता है, तो वे एक नया विज्ञापन जारी कर सकते हैं क्योंकि सीटों की संख्या बहुत अधिक है। नियम में पदों/सीटों को भागों में विभाजित करने/विभाजित करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। श्री नरेंद्र राजपुरोहित के पूछने पर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रतिवादी कार्यालय से पूछताछ की और इस न्यायालय को अवगत कराया गया कि भारत के संविधान और संबंधित कानूनों के लागू होने के बाद स्थापना के दौरान पहली बार; कुल रिक्तियों की संख्या 240 थी और उसके बाद 1956 से 1966 के बीच 10 वर्षों की अवधि में कुल 211 की भर्ती की गई, इसलिए यह नियम निर्माताओं के सामने परिस्थितियों और तथ्यों को दर्शाता है कि 1966 के नियमों का नियम 16 क्यों बनाया गया था। जब उस समय नियम बनाया गया था, तो उद्देश्य यह रहा होगा कि कर्मचारियों की पदोन्नति, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पद छोड़ने के कारण एक वर्ष में रिक्तियां हो सकती हैं, इसलिए पहले से विज्ञापित पदों में सीटों की संख्या को जोड़ने/बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए और पहले के समय में डीपीसी, किसी कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पद छोड़ने के कारण खाली होने वाले पदों की संख्या कम हुआ करती थी। उपरोक्त उद्देश्य के लिए बनाया गया 50% नियम उस अवधि में उपयुक्त रूप से काम कर सकता था, लेकिन हाल के दिनों में जब रिक्तियां सैकड़ों में हैं और इसका आधा भी सैकड़ों में होगा न्यायालय का मानना है कि यदि सीटों की संख्या अधिक हो तो अभ्यर्थियों/आवेदकों/पदधारियों/आकांक्षियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियम 1966 में बनाए गए थे और उस समय जनसंख्या और रोजगार के संबंध में परिस्थितियाँ भिन्न थीं तथा रिक्त सीटों की संख्या सीमित थी। अब समय बदल गया है और 2024 का परिदृश्य 1966 से बिल्कुल अलग है,

इसलिए तथ्यों पर विचार करते समय परिस्थितियों में आए बदलाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, इस नियम में प्रयुक्त भाषा, चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल करने के लिए प्राधिकारी को अनिवार्य नहीं बनाती, बल्कि प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि वह वर्तमान चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त आवश्यकता को भी शामिल कर सकता है। चूंकि प्राधिकारी पर और पद जोड़ने की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पदों की संख्या और विज्ञापन तथा अतिरिक्त सीटों को शामिल करने के बीच लगे समय को ध्यान में रखते हुए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग उचित रूप से करे।

14. आयुष विभाग के अपर निदेशक द्वारा उप सचिव को दिनांक 04.03.2024 को भेजे गए पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि नर्स/कंपाउंडर जूनियर ग्रेड के पद के लिए कुल 989 रिक्तियाँ थीं और इनमें से 495 पद पहले ही विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) में विज्ञापित किए जा चुके थे। विज्ञापन संख्या 1/2021 और 2/2021 के अन्य 125 पद न्यायालय के आदेश से स्थगित कर दिए गए थे क्योंकि मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है और शेष 369 पद अभी भी रिक्त थे। पत्र में आगे लिखा है कि नियम 1966 के नियम 16 के अनुसार, कुल सीटों के 50% से अधिक रिक्तियों को बढ़ाया/बढ़ाया नहीं जा सकता, हालाँकि केवल 247 पदों को ही बढ़ाया गया। पत्र की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि वास्तविक कुल रिक्तियाँ 369 पदों की थीं और इसके लिए और रिक्तियों का विज्ञापन किया जाना था लेकिन प्रतिवादी विभाग ने नियम 1966 के नियम 16 का सहारा लेकर मनमाने और अनुचित तरीके से नियम के तहत दिए गए विवेक का प्रयोग करके एक शॉर्टकट तरीका अपनाया है। अगर ऐसा होता कि विज्ञापन जारी होने के बाद सूचित की गई कुल अर्जित रिक्तियाँ पहले से विज्ञापित पदों के 50% से कम होतीं तो कोई रोक नहीं होती बल्कि प्राधिकारी को पहले से

विज्ञापित पदों में बाद में सूचित किए गए सभी पदों को जोड़ने का अधिकार हो सकता है लेकिन यहां स्थिति अलग है। यहां इस मामले में विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) के बाद, विभाग ने 369 अर्जित पदों के लिए सूचित किया जो नियम 1966 के नियम 16 के दायरे/दायरे से 50% से अधिक होने के कारण बाहर था। नियम केवल एक शॉर्टकट बनाने के लिए नए अर्जित/बाद में सूचित पदों को विभाजित/विभाजित करने का निर्देश नहीं देता है ताकि पहले से जारी विज्ञापन में कुछ पद बाद में जोड़े जा सकें। यदि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से एक या दो महीने पहले स्थिति उत्पन्न होती, तो स्थिति अलग होती, लेकिन लगभग 8 महीने बाद जब याचिकाकर्ताओं जैसे कई लोग पात्रता मानदंड के तहत प्रवेश कर चुके हैं, तो प्राधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग उन्हें चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने जैसा होगा। इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि 1966 के नियमों का नियम 16 प्राधिकारियों को सभी अतिरिक्त आवश्यकताएं जोड़ने का अधिकार देता है यदि वे मूल रूप से विज्ञापित पदों के 50% से कम हैं। यह नियम, प्राधिकारियों को 1966 के नियमों के नियम 16 का सहारा लेकर अपनी सुविधानुसार संपूर्ण रिक्ति को दो भागों में विभाजित करने का विवेकाधिकार नहीं देता है। कानून/नियमों की व्याख्या नियम में विद्यमान शब्दों से की जानी चाहिए और उन्हें उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसा वे लिखे गए हैं और प्राधिकारियों को किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन/विरूपण या परिवर्धन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि नियम निर्माताओं का इरादा बाद में अर्जित रिक्तियों को विभाजित करने का था, तो इसका उल्लेख नियम में ही स्पष्ट रूप से किया जा सकता था। रिक्तियों के विभाजन के संबंध में किसी स्पष्ट और विशिष्ट कानूनी प्रावधान के अभाव में, दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश को अनुमोदित नहीं किया जा सकता। यहाँ यदि कुल सूचित रिक्तियाँ 247 या उससे कम थीं और उन्हें किसी विज्ञापन में अतिरिक्त रिक्ति के रूप में विज्ञापित किया गया है, तो यह नियम की भावना के अनुरूप होता। प्राधिकारियों को विवेकाधिकार के अनुचित

प्रयोग द्वारा अतिरिक्त आवश्यकता को विभाजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसका नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है।

15. ऐसे ढेरों फैसले हैं जो आवेदन पत्रों को फिर से खोलने या विभिन्न प्रकार के पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने के मुद्दे से संबंधित हैं क्योंकि किसी भी नागरिक को वांछित नौकरी पाने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए या कम से कम उसे इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने एक ही मुद्दे से संबंधित निर्णयों की निष्पक्षता और चयन सूची के उम्मीदवारों के निहित अधिकार से संबंधित मुद्दे पर भरोसा किया। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए केस कानूनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भर्ती प्रकृति में भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए और किसी को भी वांछित नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो उम्मीदवार अगले वर्ष के लिए पात्र हो जाते हैं उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें परीक्षा में भाग लेने या प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका दिया जाना चाहिए। आवेदन पत्र की तारीख को पीछे नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह इस वर्ष पात्र होने वाले उम्मीदवारों को वंचित कर देगा। आगे यह भी चर्चा की गई है कि चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों का कोई निहित अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी विभागों द्वारा पूरी प्रक्रिया केवल एक निश्चित संख्या में सीटों के लिए ही संचालित की गई है, न कि बड़ी हुई सीटों के लिए। राज्य प्राधिकारी या तो अब तक की कुल रिक्तियों को शामिल करके नए उम्मीदवारों को भी फॉर्म भरने का अवसर देकर प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं और उस स्थिति में पहले से फॉर्म भर चुके उम्मीदवारों को भी शामिल किया जा सकता है और वे फिर से भाग ले सकते हैं। अवलोकनार्थ, याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनके प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

क) राखी रे एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य। ए आई आर 2010 एससी 932 में रिपोर्ट किया गया।

“9. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता क्योंकि "अधिसूचित रिक्तियों से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पठित अनुच्छेद 16(1) के तहत उन व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार का हनन और वंचन है जिन्होंने रिक्तियों की अधिसूचना की तिथि के बाद वैधानिक नियमों के अनुसार संबंधित पद के लिए पात्रता प्राप्त की है।" अधिसूचित रिक्तियों से अधिक रिक्तियों को भरना न तो अनुमेय है और न ही वांछनीय, क्योंकि यह "शक्ति का अनुचित प्रयोग" है और केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों और आपातकालीन स्थिति में ही ऐसे नियम का उल्लंघन किया जा सकता है और ऐसा विचलन किसी तर्क पर आधारित नीतिगत निर्णय लेने के बाद ही अनुमेय है", अन्यथा यह प्रयोग मनमाना होगा। अधिसूचित रिक्तियों से अधिक रिक्तियों को भरना भविष्य की रिक्तियों को भरने के समान है और इसलिए, कानून में अनुमेय नहीं है।

(देखें भारत संघ एवं अन्य बनाम ईश्वर सिंह खत्री एवं अन्य। (1992) अनुपूरक 3 एससीसी 84; गुजरात राज्य उप कार्यकारी अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (1994) अनुपूरक 2 एससीसी 591; बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सचिवालय सहायक एस.ई. संघ 1986 एवं अन्य एआईआर 1994 एससी 736: (1994 एससीडब्ल्यू 573); प्रेम सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य (1996) 4 एससीसी 319; और अशोक कुमार एवं अन्य बनाम अध्यक्ष, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड एवं अन्य एआईआर 1996 एससी 976): (1996 एआईआर एससीडब्ल्यू 420)।

10. सुरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य एआईआर 1998 एससी 18: (1997 एआईआर एससीडब्ल्यू 3961) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"आयोजित एक परीक्षा में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा नियुक्त किया गया यह नियम भर्ती का कोई स्रोत प्रदान नहीं करता है। यह केवल इस आकस्मिकता के लिए लागू है कि यदि चयनित उम्मीदवारों में से कोई भी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति को आगे बढ़ाकर रिक्त स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है, या यदि कोई अत्यधिक आवश्यकता हो, तो सरकार नीतिगत

निर्णय के रूप में प्रतीक्षा सूची से योग्यता के क्रम में व्यक्तियों का चयन कर सकती है। लेकिन उच्च न्यायालय का यह मत कि चूँकि रिक्तियों का निर्धारण ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी चाहिए, उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रथा के परिणामस्वरूप वे उम्मीदवार जो भविष्य में उपलब्ध रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के पात्र हो जाते हैं, वंचित हो सकते हैं। यदि एक परीक्षा में प्रतीक्षा सूची नियुक्ति के लिए अनंत भंडार के रूप में कार्य करती है, तो यह खतरा है कि राज्य सरकार कई वर्षों तक परीक्षा आयोजित न करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों का चयन करने का तरीका अपना सकती है। संवैधानिक अनुशासन की अपेक्षा है कि यह न्यायालय शक्ति के ऐसे अनुचित प्रयोग की अनुमति न दे जिससे निहित स्वार्थ पैदा हो और एक परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए प्रतीक्षा सूची बनाई जा सके जिससे रिक्त पदों या यहाँ तक कि सेवा से भी नए अभ्यर्थियों के पूरे समूह की कीमत चुकानी पड़े... ऐसी शक्ति के प्रयोग को तर्कसंगतता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए... यह स्वाभाविक बात नहीं है कि प्राधिकारी विज्ञापित पदों से अधिक पदों को भर सकता है।"

(जोर दिया गया)

11. मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य में भी इसी तरह के विचार को दोहराया गया है। एआईआर 1995 एससी 1088: (1995 एआईआर एससीडब्ल्यू 1109); कमलेश कुमार शर्मा बनाम योगेश कुमार गुप्ता और अन्य। एआईआर 1998 एससी 1021: (1998 एआईआर एससीडब्ल्यू 793); श्री कांत त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2001) 10 एससीसी 237: (2001 एआईआर एससीडब्ल्यू 3468); जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम संजीव कुमार और अन्य। (2005) 4 एससीसी 148; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार शर्मा और अन्य। (2006) 3 एससीसी 330: (2006 एआईआर एससीडब्ल्यू 1985); और राम अवतार पटवारी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। एआईआर 2007 एससी 3242: (2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 6130)।

12. पंजाब राज्य बनाम रघवीर चंद शर्मा एवं अन्य। एआईआर 2001 एससी 2900: (2001 एआईआर एससीडब्ल्यू 4337) में, इस न्यायालय ने उस मामले की जाँच की जहाँ केवल एक पद विज्ञापित किया गया था और जिस उम्मीदवार का नाम चयन सूची में क्रमांक 1 पर था, उसने उस पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया, लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिया। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चयन

सूची में अगले उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करके पद भरा जा सकता है, और निम्नलिखित टिप्पणी की:

"जिस एकमात्र पद के संबंध में विचार किया गया था और चयन सूची तैयार की गई थी, उस पद के लिए पहले उम्मीदवार की नियुक्ति के साथ ही पैनल का अस्तित्व समाप्त हो गया और उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और किसी भी स्थिति में, पैनल में कोई भी अन्य व्यक्ति वैध रूप से यह तर्क नहीं दे सकता कि उसे पैनल से नियुक्त व्यक्ति के बाद के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्ति या बाद में उत्पन्न किसी अन्य रिक्ति में नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी।"

13. मुकुल सैकिया एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 747: (2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 7971) में, इस न्यायालय ने एक समान मुद्दे पर विचार किया और यह निर्णय दिया कि "यदि अधियाचन और विज्ञापन केवल 27 पदों के लिए था, तो राज्य विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नियुक्तियाँ नहीं कर सकता"। चयन सूची "सभी 27 पदों के भर जाने पर समाप्त हो गई"। इसके बाद, 27 नियुक्त उम्मीदवारों से नीचे के उम्मीदवारों को किसी भी ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है जिसके संबंध में चयन नहीं हुआ था। "चयन सूची की वैधता विज्ञापित पदों की संख्या भरते ही समाप्त हो गई थी, इसलिए, विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नियुक्तियाँ भविष्य की रिक्तियों को भरने के समान होंगी" और यह प्रक्रिया कानूनन अस्वीकार्य है।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, कानून को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की गई कोई भी नियुक्ति अधिकार क्षेत्र से बाहर है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है। इस प्रकार, यह शून्य है, कानून में निष्पादन योग्य और अप्रवर्तनीय है। यदि अधिसूचित रिक्तियाँ भर जाती हैं, तो चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अधिसूचना/विज्ञापन जारी होने के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची आदि को आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। अपूर्ण चयन सूची/प्रतीक्षा सूची निरर्थक हो जाती है और उसे आगे सेवा में नहीं रखा जा सकता।"

ख) के. लक्ष्मी बनाम केरल राज्य (2012) 4 एससीसी 115 में रिपोर्ट किया गया।

“25. सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई रिक्तियों को भरने की शक्ति के संबंध में कानूनी स्थिति इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा स्थापित की गई है। श्री राव ने इनमें से कुछ निर्णयों का हवाला दिया, जिनका हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

26. राखी रे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय मामले में, इस न्यायालय ने घोषणा की कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता क्योंकि अधिसूचित रिक्तियों से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती करना योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर से वंचित करना होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 641 पैरा 7)

यह स्थापित कानून है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता क्योंकि अधिसूचित रिक्तियों से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती करना इनकार करना है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन है।

27. होशियार सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1993 अनुपूरक 4 एससीसी 377 मामले में, इस न्यायालय ने यह भी माना कि किसी अतिरिक्त पद पर नियुक्ति से वे अभ्यर्थी, जो विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे और जो उसके बाद नियुक्ति के पात्र हुए, ऐसी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित हो जाएंगे। इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 384, पैरा 10)

“10.....ऐसे चयन और अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति से वे अभ्यर्थी, जो विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे और जो इसके बाद नियुक्ति के पात्र हो गए, अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित हो जाएंगे....”

ग) केरल उच्च न्यायालय बनाम रेशमा ए. एवं अन्य (2021) 3 एससीसी 755 में रिपोर्ट किया गया।

“54. उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में चौथी कठिनाई संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निस्संदेह, नियम 7(2) की वैधता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं थी। प्रतिवादियों के वकील ने तर्क

दिया कि अपीलकर्ता के अधिकार क्षेत्र में अपने ही नियमों, विशेषकर नियम 7(2) की वैधता पर संदेह व्यक्त करना नहीं आता। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने यह सुझाव या तर्क नहीं दिया कि नियम 7(2) को अमान्य माना जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि "संभावित" शब्द एक ऐसे जोड़/घटाव को दर्शाता है जो सेवा की अनिश्चितताओं, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र और पदोन्नति, के कारण करना पड़ता है। अपीलकर्ता का तर्क है कि अधिसूचित रिक्तियों से आगे चयन सूची न चलाने की संवैधानिक आवश्यकता के संदर्भ के बिना, नियम 7(2) की शाब्दिक व्याख्या, नियम को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघनकारी बना देगी और ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनका तर्क था प्रतिवादियों द्वारा सुझाए गए तरीके से संवैधानिक निषेधादेश को रद्द नहीं किया जा सकता है और मलिक मज़हर सुल्तान (3) के निर्देशों के आलोक में न्यायिक सेवा नियमों की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए थी। हम इस दलील से सहमत हैं, क्योंकि यह इस न्यायालय के पूर्व उदाहरण पर आधारित है। सेवा न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया हेतु रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है, तो नियुक्तियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत इस दलील का उत्तर यह है कि नियम 7(1) के तहत रिक्तियों की एक संभावित संख्या अधिसूचित की जानी आवश्यक है और चूंकि सटीक संख्या अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए 2019 में अधिसूचित 37 संभावित रिक्तियों से अधिक होने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। इस दलील को स्वीकार करने में कठिनाई केवल यही है: यह "रिक्तियों की संभावित संख्या" शब्द को एक ऐसा अर्थ देता है जो सेवा न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों, अवसर की समानता के अधिदेश का पालन करने की आवश्यकता, के साथ असंगत है। अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सार्वजनिक रोज़गार में और अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ के विपरीत है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी [11 वां संस्करण (थॉमसन रॉयटर्स वेस्ट, 2019)]।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के चौथे संस्करण, संशोधन 6 (1971) में 'संभावित' की परिभाषा इस प्रकार थी: "सत्य जैसा प्रतीत होना; संभाव्यता का स्वरूप होना; तर्क या अनुभव पर आधारित प्रतीत होना...; पक्ष में कम और विपक्ष में कम प्रमाण होना; ऐसे प्रमाणों द्वारा समर्थित होना जो मन को विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हों,

लेकिन संदेह की कुछ गुंजाइश छोड़ते हों; प्रत्यक्षतः सत्य, फिर भी संभवतः असत्य।"] 'संभावित' की परिभाषा इस प्रकार है: "संभावित":

"संभावना": अस्तित्व में आने, सत्य होने या घटित होने की"

जैसा कि हमने देखा, 'रिक्तियों की संभावित संख्या' मौजूदा रिक्तियों और वर्ष के दौरान होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की गणना पर आधारित है। इसमें प्रतीक्षा सूची में शामिल कुछ उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना को भी शामिल किया जाता है। हालाँकि, 'संभावित' शब्द की व्याख्या रिक्तियों के ऐसे अस्पष्ट आकलन के रूप में नहीं की जा सकती जो तर्क पर आधारित न हो और जिसे बिना किसी वैधानिक कारण के बदला जा सके। नियम 7(1) में रिक्तियों की संभावित संख्या की अवधारणा को भविष्य की रिक्तियों पर थोपने की अनुमति देना, जो किसी आगामी वर्ष में उत्पन्न होंगी, एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन होगा। वे अभ्यर्थी जो भर्ती के किसी आगामी वर्ष में भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं, उनकी वास्तविक संवैधानिक शिकायत होगी कि जिस वर्ष वे पात्र हुए थे, उस वर्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों को किसी पूर्ववर्ती भर्ती वर्ष में आवंटित कर दिया गया है। यदि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाता है, तो यह उस प्रक्रिया की निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसका पालन इस तथ्य को नजरअंदाज करके किया गया है कि 2020 में उत्पन्न हुई रिक्तियों को 2019 की चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 16 का गंभीर उल्लंघन होगी और इससे बचना चाहिए। पुनः दोहराना चाहूंगा कि अपीलकर्ता का यह निवेदन जिसे हम स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, वह यह नहीं है कि नियम 7(2) अमान्य है, बल्कि यह है कि नियम 7(1) और (2) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या अपनाई जानी चाहिए जो मलिक मजहर सुल्तान (3) में अनुच्छेद 142 के निर्देशों के अनुरूप हो, ताकि नियमों को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में संवैधानिक न्यायशास्त्र के शासी सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके।

उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति से वे अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के समय पात्र नहीं थे, लेकिन सीटों की वृद्धि की तिथि पर पात्र हैं और साथ ही यदि इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और पिछले वर्ष की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अगले वर्ष मौका दिया जाएगा तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद

14 और 16 का उल्लंघन होगा। नियमों की व्याख्या उसी प्रकार की जानी चाहिए जिस प्रकार वह लिखी गई है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय इस प्रकार के नियम बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा और तदनुसार उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। कानून/संविधि/नियमों की व्याख्या हमेशा भारत के संविधान के तहत प्रदत्त नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप होनी चाहिए। इस मामले में, अतिरिक्त सीटों के लिए आवेदन करने की तिथि नहीं बदली गई है और जो सीटें अर्जित हुई हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। नियम 1966 के नियम 16 की आड़ में, अर्जित अतिरिक्त पदों को दो भागों में विभाजित/विभाजित/विभाजित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है और इस देश के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुरूप और संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों अर्थात् 14, 15, 16, 19 और 21 को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकते।

16. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि 1966 के नियमों का नियम 16 राज्य प्राधिकारियों को पहले से विज्ञापित सीटों में कुछ और रिक्तियों को जोड़ने के लिए बाद में अर्जित कुल रिक्तियों को विभाजित करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि नियम 16 का सीधा अर्थ यह है कि प्राधिकारियों को कुछ और संख्याएँ जोड़ने का अधिकार देता है, जो आरंभ में विज्ञापित पदों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि बाद की कुल रिक्तियों की संख्या पहले से विज्ञापित पदों के 50% से कम है। 1966 के नियमों के नियम 16 की सीधी व्याख्या यह मानी जानी चाहिए कि बाद की कुल रिक्तियाँ विज्ञापित पदों के 50% से कम होनी चाहिए।

17. अब इस मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यह बात सामने आएगी कि विज्ञापित पदों में कुछ और रिक्तियों को जोड़ने के बाद भी, बहुत सारी रिक्तियाँ

अभी भी विद्यमान हैं और जिनकी पूर्ति के लिए, प्रतिवादी विभाग को भर्ती की एक और प्रक्रिया शुरू करनी होगी। सरल शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि मौजूदा प्रक्रिया में 247 सीटें जोड़ने के बाद भी, 122 सीटें खाली पड़ी हैं और निकट भविष्य में, प्रतिवादी विभाग उस उद्देश्य के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य होगा। यदि ऐसा है, तो अधिकारियों को केवल विज्ञापित रिक्तियों के लिए विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं करनी चाहिए और बाद में अर्जित पूरी/संपूर्ण सीटों के लिए एक नया विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा सकता है जो लगभग 369 सीटें हैं। यह उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों ने केवल विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया है, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होगा, हालांकि, इसके विपरीत जो उम्मीदवार अब प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं, उन्हें 247 सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जा रहा है, जिसे अब जोड़ा जा रहा है। यह केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि वे 7 महीने पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे। उन्होंने अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण 05.11.2023 से पहले फॉर्म भरने से परहेज किया।

18. प्रतिवादी विभाग को मौजूदा चयन प्रक्रिया में 247 सीटें जोड़ने की अनुमति देना भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर की अवधारणा के विरुद्ध होगा, जो सभी इच्छुक व्यक्तियों को अप्रासंगिक कारकों पर आधारित भेदभाव के बिना, रोजगार जैसे विशिष्ट संसाधन प्राप्त करने के समान अवसर सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसरों की गारंटी देता है। यह संवैधानिक प्रावधान सार्वजनिक रोजगार के मामलों में निष्पक्ष और भेदभाव रहित प्रथाओं का आधार है। सभी नागरिकों को किसी भी अनुचित और अनुचित कारक के आधार पर भेदभाव को रोकते हुए, राज्य के किसी भी पद पर

नियोजित या नियुक्त होने का समान अवसर दिया जाना चाहिए था। कोई भी कानून यह नहीं चाहेगा कि वह नागरिकों के एक वर्ग को लाभान्वित करे और दूसरों के लिए अवसर बंद कर दे। नियम सामाजिक हित की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से, अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग के लिए नहीं। किसी प्रावधान का सहारा लेकर, राज्य के अधिकारियों को दूसरों से उचित अवसर छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके वे अन्यथा पात्र हैं। मेरा दृढ़ मत है कि रिक्तियों के विभाजन से कुछ लोगों को लाभ और अन्य को हानि होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कुल रिक्तियाँ, अर्थात् 369 पद, नियम 1966 के नियम 16 के दायरे में आतीं, तो बात अलग होती। मेरे विचार से, नियम 16 केवल उपरोक्त उद्देश्य के लिए बनाया गया है और इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया शुरू होने के लगभग 8 महीने बाद रिक्तियों का आधा भाग जोड़ना, वह भी रिक्तियों को विभाजित करके, न केवल नियम 16 के दायरे से बाहर है, बल्कि अवैध और अनुचित भी है। मामले के कानूनी और तथ्यात्मक पहलू पर गहन विचार-विमर्श के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उचित और औचित्यपूर्ण यह होगा कि राज्य प्राधिकारियों को अतिरिक्त रिक्तियाँ जोड़े बिना केवल विज्ञापित रिक्तियों के लिए ही चयन प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए और अब तक जो भी रिक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, उनके लिए एक नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जा सके। नई प्रक्रिया में, अब तक के सभी पात्र अभ्यर्थी भाग लेने के पात्र होंगे। लगभग 8 महीने बाद और सीटें बढ़ाकर और सीटें जोड़ते समय पात्र अन्य अभ्यर्थियों के अवसरों को कम करके केवल 05.11.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही अवसर प्रदान करना न्यायोचित या तर्कसंगत नहीं होगा। यदि अब जोड़ी जा रही रिक्तियों के लिए उन अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाता जो आज की तिथि तक सभी पहलुओं से पात्र हैं; तो मेरे विचार से यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, विधि एवं न्याय की भावना के विरुद्ध और संवैधानिक गारंटी के विपरीत होगा।

इस प्रकार, सभी पहलुओं को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि चयन प्रक्रिया में आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी) विभाग में कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पद के लिए 247 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का आदेश देने में अधिकारियों द्वारा विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग अनुचित, अन्यायपूर्ण और कानून के अधिदेश के विरुद्ध है और यह 1966 के नियम 16 के दायरे में नहीं आता है और इसलिए सीटों की वृद्धि के संबंध में दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) का विवादित आदेश रद्द और अपास्त किए जाने योग्य है। याचिकाएँ अनुमति दिए जाने योग्य हैं।

19. तदनुसार, ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिकाएँ निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति दी जाती हैं:

क) विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) में पहले से विज्ञापित पदों में सीटों को बढ़ाने वाला दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 4) का विवादित आदेश आयुर्वेद कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पदों में वृद्धि से संबंधित सीमा तक तत्काल प्रभाव से रद्द और रद्द किया जाता है, जिसमें 247 पदों को अन्यायपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला, औचित्य और विधायी मंशा और अंतर्निहित कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध होने के कारण बढ़ाया गया था।

ख) प्रतिवादी विभाग को आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर में कंपाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पद के लिए विज्ञापित विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है, केवल 03.10.2023 (अनुलग्नक 1) के माध्यम से विज्ञापित रिक्तियों के लिए। प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाएगी।

ग) प्रतिवादी विभाग आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी) विभाग में कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पद के लिए बाद में सूचित अतिरिक्त आवश्यकता की संख्या, जो लगभग 369 सीटें [या इससे अधिक, यदि कोई इस बीच अर्जित हुई हैं] के लिए तत्काल प्रभाव से नया विज्ञापन जारी करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेगा, ताकि सभी उम्मीदवार/आकांक्षी/प्रतिभागी/पदधारी सार्वजनिक रोजगार परीक्षा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें।

20. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

21. सभी स्थगन याचिकाएँ और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार निपटाए जाते हैं।

(फरजंद अली), जे

ममता/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी